THE HIMACHAL PRADESH REPEALING ACT, 1954

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Repeal of certain laws.
3. Savings.

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1954

(1956 का अधिनियम सं0 2)[1]

(Received the assent of the President of India, on the 21st January, 1956 and was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated the 11th February, 1956, pp. 111-112)

कुछ विधियों के निरसन का अधिनियम।

यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:–

1. संक्षिप्त नाम:– इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1954 होगा।

2. कुछ विधियों का निरसन:– प्रथम अनुसूची में विशिष्ठ विधियों को उसके तीसरे स्तम्भ में कथित मात्रा तक एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

3. अपवाद:– किन्हीं भी विधियों के इस अधिनियम द्वारा निरसन का किसी भी ऐसी अन्य विधि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें निरस्त विधि प्रयुक्त, निगमित अथवा निर्दिष्ट हो चुकी हो (Applied, incorporated or referred to);

न ही इस अधिनियम का प्रभाव पड़ेगा, किसी भी पहले से की गई हुई अथवा सहन की गई हुई बात की मान्यता, अमान्यता, प्रभाव अथवा परिणामों (validity, invalidity, effect or consequences) पर अथवा पहले से उपार्जित, प्राप्त अथवा कृत अधिकार, आगम (title) आभार (obligation) अथवा दायित्व पर, अथवा उससे सम्बन्धित किसी उपचार (remedy) या कार्यवाही अथवा किसी ऋण, दण्ड, आभार, दायित्व, दावे या मांग पर अथवा उनके मोचन या उन्मोचन (release or discharge), अथवा पहले से दी गई क्षतिपूर्ति अथवा पूर्व कृत कार्य अथवा वस्तु के प्रमाण पर;

और न ही इस अधिनियम का प्रभाव पड़ेगा, विधि के किसी भी सिद्धांत या नियम पर, या प्रस्थापित क्षेत्राधिकार, प्रतिपादना, व्यवहृति या प्रक्रिया के प्रकार या क्रम पर, (form or course of pleading, practice or procedure) या विद्यमान रिवाज़, प्रथा, विशेषाधिकार, आयंत्रण (restriction), मुक्ति पद या नियुक्ति पर, इस बात के होते हुए भी कि वे क्रमशः किसी भी प्रकार से

---

1. Passed in Hindi by the Himachal Pradesh Vidhan Sabha on the 9th August, 1954. For the Statement of Objects and Reasons, see the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated the 21st August, 1954, p. 469.

एतद्द्वारा निरस्त विधि में या उस से अभिपुष्ट (affirmed), प्रस्वीकृत या व्युत्पन्न हुए हों;

और न ही पुनर्जीवित या पुनः स्थापित होंगे, किसी भी विधि के इस अधिनियम द्वारा निरसन से कोई भी ऐसे क्षेत्राधिकार, पद, रिवाज़, दायित्व, अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, आयंत्रण, मुक्ति, प्रथा, वृति, प्रक्रिया अथवा अन्य विषय अथवा वस्तुएं जो कि इस समय विद्यमान या प्रचलित नहीं है।

....

अनुसूचि

(देखिये धारा 2)

वर्ष	संक्षिप्त नाम	निरसन की मात्रा
1919	दी पंजाब प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, जैसा कि वह बिलासपुर में प्रवृत है।	समस्त
1930	दी पंजाब रैगुलेशन ऑफ अकाउट्ंस ऐक्ट, जैसा कि वह बिलासपुर में प्रवृत है।	समस्त
2001 विक्रमी	दी बिलासपुर स्टेट प्रोहिबिशन एक्ट	समस्त
2005 विक्रमी	दी बिलासपुर ट्रांसपोर्ट अथौरिटी एक्ट	समस्त
2002 विक्रमी	बिलासपुर के राजा, हिज़ हाईनैस का दिनांक 17 भादों सं0 2002 का रोवकार, जिसके द्वारा भूमि का अर्जन आयन्त्रित किया गया है (restricting acquisition of land).	समस्त
1999 विक्रमी	मेलों के दौरान दुकानदारों पर टैक्स	समस्त